दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway
मंडल कार्यालय,**Divisional Office,**
कार्मिक विभाग,**Personnel Department,**
किंग्सवे, नागपुर, **Kingsway, Nagpur-440001**

संख्याः पी / एनजीपी /एसएएस / 2024 / 16 दिनांकः 08.04.2024

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

अधिसूचना

विषय : अप्रेंटिस एक्ट–1961 एवं अप्रेंटिस नियम–1992 के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल एवं मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में वर्ष 2024-25 के लिए एक्ट अप्रेंटिस का इंगेजमेंट।

*****

1. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल एवं मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर में अप्रेंटिस एक्ट–1961 के अंतर्गत निम्नलिखित नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के रूप में इंगेजमेंट के लिए पात्र उम्मीदवारों से https://www.apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर दिनांक **10.04.2024** से **09.05.2024** ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अ) नागपुर मंडल **(Establishment Code: E05202702695)**

Sr. No.	Trade	No. of Slots						PH	Ex. Serv.
		UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL		
1	फ़िटर	36	14	7	24	9	**90**	4	9
2	कारपेंटर	12	5	2	8	3	**30**	1	3
3	वेल्डर	8	3	1	5	2	**19**	1	2
4	कोपा	46	17	9	31	11	**114**	5	11
5	इलेक्ट्रिशियन	74	28	14	50	19	**185**	7	19
6	स्टेनोग्राफर (इंग्लिश)सेक्रेटरिअल अस्सिटंट	8	3	1	5	2	**19**	1	2
7	प्लंबर	10	4	2	6	2	**24**	1	2
8	पेंटर	16	6	3	11	4	**40**	2	4
9	वायरमॅन	24	9	5	16	6	**60**	2	6
10	इलेक्ट्रोनिक मेकॅनिक	5	2	1	3	1	**12**	0	1
11	डिज़ल मेकॅनिक	36	14	7	24	9	**90**	4	9
12	अपहोल्स्टर (ट्रिमर)	1	0	0	1	0	**2**	0	0
13	मशिनिस्ट	9	3	2	6	2	**22**	1	2
14	टर्नर	3	2	1	3	1	**10**	0	1
15	डेंटल लेबोरेटरी तकनिशियन	1	0	0	0	0	**1**	0	0

16	होस्पिटल मॅनेजमेंट तकनिशियन	1	0	0	1	0	**2**	0	0
17	हेल्थ सॅनेटरी इंसपेक्टर्	1	0	0	1	0	**2**	0	0
18	गॅस कटर	2	1	1	2	1	**7**	0	1
19	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	3	1	1	2	1	**8**	0	1
20	केबल जोनिटर	3	2	1	3	1	**10**	0	1
21	डिजिटल फोटोग्राफर	0	0	0	0	0	**0**	0	0
22	ड्राइवर कम मेकॅनिक (लाइट मोटर वेहीकल)	1	0	0	1	0	**2**	0	0
23	मेकॅनिक मशिन टूल्स मेंटेनेंस	5	2	1	3	1	**12**	0	1
24	मेशन (बिल्डिंग कनस्ट्रक्टर)	11	4	2	7	3	**27**	1	3
	Total/ कुल	**316**	**120**	**61**	**213**	**78**	**788**	**30**	**78**

ब) मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर **(Establishment Code: E05202702494)**

Sr. No.	Trade	No. of Slots						PH	Ex. Serv.
		UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL		
1	फ़िटर	14	5	3	9	4	**35**	1	4
2	वेल्डर	2	1	1	2	1	**7**	0	1
3	कारपेंटर	2	1	0	1	0	**4**	0	0
4	पेंटर	5	2	1	3	1	**12**	0	1
5	टर्नर	1	0	0	1	0	**2**	0	0
6	स्टेनोग्राफर (इंग्लिश) सेक्रेटरिअल अस्सिटंट	2	0	0	1	0	**3**	0	0
7	इलेक्ट्रिशियन	3	2	1	3	1	**10**	0	1
	Total / कुल	**29**	**11**	**6**	**20**	**7**	**73**	**1**	**7**

नोट :- यदि आवश्यक हो तो, प्रशासन के विवेक से उपरोक्त रिक्तियों को बढ़ाया / घटाया जा सकता है

2. <u>पात्रता शर्तें</u> :

2.1 उम्मीदवार की आयु दिनांक - 10-04-2024 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष या 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

एससी/एसटी उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु में छूट 5 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष और दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष है।

2.2 भूतपूर्व सैनिक जो इस कोटे के तहत पहले ही सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं के अलावा ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्होंने रक्षा बलों में सेवा प्रदान की है, ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त 10 वर्षों की छूट दी जाएगी और अतिरिक्त 03 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते उन्होंने एक बार में 6 महिनों की लगातार सेवा की हो। हालांकि, यदि उपलब्ध हो तो, श्रेणी की परवाह किए बिना, भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत लिया जाएगा। यदि, सामान्य कोटि में रिक्तियाँ उपलब्ध न होने पर केवल उन विशेष समुदायों से संबंधित भूतपूर्व सैनिक जिनकी रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, भूतपूर्व सैनिकों के कोटा के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

2.3 समुदाय के अनुसार जन्म तीथि निचे दी गई है।

क्रम.सं.	समुदाय	अभ्यर्थी का जन्म निम्नलिखित दिनाँक के बीच हुआ हो
1	अनारक्षित	10.04.2000 to 10.04.2009
2	अन्य पिछडा वर्ग	10.04.1997 to 10.04.2009
3	अनुसूचित जाति/जनजाति	10.04.1995 to 10.04.2009
4	दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक	10.04.1990 to 10.04.2009

3. <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता</u> :

3.1 उम्मीदवार को न्यूनतम 50 % अंको के साथ मेट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

3.2 नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग/स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उम्मीदवार को पोर्टल पर योग्यता अनुभाग में अपने 10वीं और आईटीआई अंक भरने होंगे; अन्यथा उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा। अन्य कोई उच्च योग्यता न भरें।

4. <u>चयन प्रणाली / (चयन का तरीका)</u>

4.1 चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर होगा। मेरिट सूची मैट्रिक में अंकों के प्रतिशत [न्यूनतम 50% (कुल) अंकों के साथ] और जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की जानी है उसमें आईटीआई अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आंध्र प्रदेश, सार्वजनिक परीक्षा बोर्ड, केरल इत्यादि के उम्मीदवारों के एसएससी के अंकों के प्रतिशत की गणना हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा उम्मीद्वारों के प्राप्तांक ग्रेड के मध्य बिंदु लिए जाएंगे। उम्मीद्वार द्वारा दिए गए सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड के मध्य बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद, औसत गणना की जाएगी। औसत का आकलन प्रत्येक विषय को अधिकतम 100 अंकों का मानकर किया जाएगा क्योंकि इस तरह के बोर्डों के लिए मैट्रिक के औसत की गणना के लिए कोई मानक विधि या गुणक नहीं है।

4.2 यदि, दो उम्मीद्वार एक जैसे अंक प्राप्त करते हैं तो उम्र में बड़े उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि दोनों की जन्म तारीखें एक समान हैं, तो जो उम्मीदवार पहले मैट्रिक परीक्षा पास करता है उसका पहले विचार किया जाएगा।

4.3 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार सभी मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन तथा वर्कशॉप एवं डिवीजन की अन्य इकाइयों के लिए लागू रेलवे की उचित मेडिकल परीक्षा में फिट पाए गए हों।

4.4 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया/पत्राचार के अगले चरण के लिए अपने पंजीकरण संख्या को सुरक्षित/नोट करके रखे।

5. उम्मीदवारों को नागपुर मंडल या मोतीबाग वर्कशॉप का विकल्प चुनना होगा।
1) नागपुर मंडल
2) मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर

6. **प्रशिक्षण एवं स्टायपेंड / (वजीफा)**

6.1 प्रशिक्षण कर रहे उम्मीदवार निर्धारित दर के अनुसार स्टायपेंड के लिए पात्र होंगे। वजीफा दर रु. 8050/- 2 साल के आईटीआई कोर्स के लिए और रु. 7700/- 1 साल के आईटीआई कोर्स के लिए।

6.2 प्रशिक्षण की अवधि केवल 1 (एक) वर्ष होगी।

7. **मेडिकल फिटनेस (Fitness)**

चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 और प्रशिक्षुता नियम 1992 (समय-समय पर संशोधित) के पैरा 4 के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में दस्तावेज़ सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। सरकारी अधिकृत डॉक्टर (गज़) द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र। सहायक पद से नीचे नहीं। केन्द्रीय/राज्य अस्पताल के सर्जन।

8. **भूतपूर्व सैनिक:**

8.1 उनके लिए प्रदान किए गए 10% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को उचित श्रेणी में रखा जाना है। यूआर/एससी/एसटी/ओबीसी जिससे वे संबंधित हैं। पूर्व सैनिकों, उनके बच्चों और सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों का आरक्षण नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार होगा :-

(a) मृत/विकलांग पूर्व सैनिकों के बच्चे, जिनमें शांतिकाल के दौरान मारे गए/विकलांग लोग भी शामिल हैं।
b) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे
c) सेवारत अधिकारी के बच्चे
d) भूतपूर्व सैनिक
e)सेवारत जवानों के बच्चे।

8.2 जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के कार्मिकों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निर्वहन प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों के मामले में, उनके माता-पिता का निर्वहन प्रमाण पत्र या सशस्त्र सेना के अनुप्रमाणन प्रमाणपत्र दस्तावेज (जैसा भी मामला हो) सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. **दिव्यांग (PWBD) व्यक्तियों के लिए फिट्नेस के मानक:**

दिव्यांग (PWBD), जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (यानी, केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड जिसमें विकलांगता के मूल्यांकन के लिए विशेष क्षेत्र का एक विशेषज्ञ)। विकलांगता प्रमाण पत्र अनुबंध- III / IV / V / VI संलग्न के अनुसार ही होना चाहिए।

10 **आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक**:

पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 10.04.2024 से 09.05.2024 ।

11 **प्रशिक्षण का अनुबंध:**

11.1 नामित ट्रेड में अप्रेटिंसशीप प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अप्रेटिंसशीप प्रशिक्षण का अनुबंध करना होगा :

11.2 जहां अप्रेटिंसशीप का अनुबंध, नियोक्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों (जैसे अप्रेटिंसशीप नियम 1992 के तहत अधिसूचित) को पूरा न कर पाने की वजह से समाप्त होता है, उम्मीद्वार को निर्धारित मुआवजे के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

11.3 जहां अप्रेटिंसशीप का अनुबंध, उम्मीद्वार द्वारा अनुबंध की शर्तों (जैसे अप्रेटिंसशीप नियम 1992 के तहत अधिसूचित) को पूरा न कर पाने की वजह से समाप्त होता है, उम्मीद्वार को जमानती राशि का भुगतान करना होगा जो प्रशिक्षु सलाहकार द्वारा प्रशिक्षण की लागत के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

11.4 नियोक्ता की ओर से अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर उत्तीर्ण ट्रेड प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं है और न ही प्रशिक्षु की ओर से नियोक्ता के तहत रोजगार स्वीकार करना अनिवार्य होगा।

11.5 यदि चयनित उम्मीदवार नाबालिग है, तो उसके संरक्षक को नियोक्ता के साथ अप्रेटिंसशीप का अनुबंध करना होगा।

12 **महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश :**

12.1 आवेदन केवल निम्नलिखित वेबसाइट के माध्यम से ही करें, वेबसाइट का पता- https://www.apprenticeshipindia.gov.in (**Establishment Code: E05202702695**)

12.2 आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। यदि इंगेजमेंट गलती से हुआ हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को किसी भी समय नोटिस के बिना किसी भी स्तर पर खारिज कर दिया जाएगा।

12.3 उम्मीदवार यदि सत्यापन के लिए आवश्यक मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है या कोई अन्य विसंगति पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

12.4 यदि रेलवे प्रशासन द्वारा यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत/नकली प्रमाणपत्र/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, रेलवे प्रशासन किसी भी स्तर पर उम्मीदवार/चयनित उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के निर्वहन का अधिकार सुरक्षित रखता है, यहां तक कि प्रशिक्षण के उनके चयन के बाद भी। इसके अलावा, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

12.5 रेलवे प्रशासन किसी भी उम्मीदवार जिनका चयन नहीं हुआ है या जिन्हें बुलाया नहीं गया है , को जवाब भेजने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इस कार्यालय द्वारा, जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन को जवाब नहीं दिया जाएगा।

12.6 इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक इस अधिसूचना के जवाब में शिक्षुता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि वे प्रशिक्षु की एक अलग योजना द्वारा शासित है।

12.7 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई दैनिक भत्ता / वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

12.8 इंगेजमेंट के लिए चयन के बाद, डिवीजन / यूनिट को बदलने के लिए उम्मीदवार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.9 प्रशिक्षुओं के लिए रेलवे द्वारा कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा उन्हें अपनी स्वयं की व्यवस्था करना होगा।

12.10 तथापि पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची को अंतिम रूप देने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जाएगी, किसी भी निरीक्षण के मामले में प्रशासन को किसी भी स्तर पर परिवर्तन करने का अधिकार है और प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

12.11 सीपीओ/एसईसीआर के पत्र संख्या पी-एचक्यू/आरयूएल/101/10(ई-50910) दिनांक के अनुसार। 13/02/2024 पैरा (5) में, अनारक्षित पद/कोटा के लिए, एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित से संबंधित किसी भी उम्मीदवार को योग्यता के अनुसार चुना जाता है, तदनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/अनारक्षित जो भी उपलब्ध हो योग्यता रिक्त ईडब्ल्यूएस आरक्षित पद/कोटा के विरुद्ध लगाई जा सकती है।

12.12 यदि पोर्टल पर ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक का विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो अपनी वास्तविक श्रेणी (जैसे- अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी) से पोर्टल पर आवेदन करें और ईडब्ल्यूएस/पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र भौतिक रूप से भेजें/जमा करें। इस कार्यालय में .

12.13 आयु में छूट नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (केंद्रीय प्रारूप में) जमा करने पर निर्भर है केवल (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए। आयु में छूट जाति प्रमाण पत्र (केंद्रीय प्रारूप में) जमा करने पर निर्भर है केवल (अनुसूचित जाति/जनजाति) उम्मीदवारों के लिए।

12.14 जिन अभ्यर्थीयो ने इससे पुर्व किसी संगठ्न मे अप्रिंटीसशिप की है, उन्हे अप्रिंटीसशिप के लिये दोबारा आवेदन नही करना चाहीए । यदी ऎसा कोई उम्मीदवार पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी पर विचार नही किया जायेगा ।

13 सहायता हेतु :

अधिक जानकारी के लिये sandeepm.1102@gov.in, (संदीप भगवानजी मुनघाटे, कनिष्ठ लिपिक, द.पू.म.रेलवे/नागपुर मंडल) or Whats App No. 8208830270 पर सम्पर्क करें.

टिप्पणी: किसी संशय/विरोधाभास की स्थिती में अधिसूचना की अँग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा ।

08/04/24

(महेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कार्मिक अधिकारी-।
कृते वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी
द.पू.म.रेलवे/नागपुर

No. P/NGP/SAS/2024/16

दिनाँक : 08.04.2024

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1) जिला रोजगार अधिकारी - नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, राजनांदगाँव, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी से अनुरोध है कि योग्य उम्मीद्वारों से आग्रह करें कि वे इस कार्यालय की वेबसाइट https://www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से आवेदन करें ।
2) प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी - सूचनार्थ ।
3) मुख्य कारखाना प्रबंधक/मोतीबाग कारखाना ।
4) मंडल समन्वयक - द.पू.म.रे.मजदूर काँग्रेस, नागपुर ।
5) मंडल सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अ.जा/अ.ज.जा रेल कर्मचारी संघ/नागपुर मंडल।
6) जन संपर्क अधिकारी, द.पू.म.रेलवे, नागपुर ।
7) सूचना पटल ।

कृते वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी
द.पू.म.रेलवे/नागपुर